कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। पत्रांक- 13-8 / 11-सी- FP/UP/Road/157254/2022, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 21,2023

सेवा में.

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

जनपद शाहजहॉपुर में हरदोई–लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 731 कि0मी0 88.750 से 123.650 तक चार लेन विषयः— चौडीकरण कार्य में शाहजहॉपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन / ट्रान्सप्लान्ट एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 152 वृक्षों के पातन / ट्रान्सप्लान्ट सहित प्रस्ताव की कृल 12.1615 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल 1414 वृक्षों के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव FP/UP/Road/157254/2022

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/315/2022/एफ0सी0/321, दिनांक–22.08.2023 महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली ने अपने पत्रांक–1578/14–1 दिनांक 21.11.2023 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनूरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

18 (अनुपम गुप्ता) प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, 9 उ०म्र०, लखनऊ।

संख्या— / 308/11—सी— FP/UP/Road/157254/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली। 1-

- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, शाहजहॉपुर एवं हरदोई। 2-
- परियोजना निदेशक, भा०रा०रा० प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाई ग्रीन पार्क बरेली। 3-

(अनुपम गुप्ता) प्रधान मुख्यु वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या− /308/11−सी FP/UP/Road/157254/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> 10 (अनुपम गुप्ता) प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, 🖉 🗷 🖉 🖉 🖉

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली। पत्र संख्याः– 1578 / 14–1, बरेली, दिनांक, 21 / नवम्बर / 2023 सेवा में

> मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :--

जनपद शॉहजहापुर में हरदोई—लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—731 किमी 88.750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य में शाहजहॉपुर वन प्रभाग के अर्न्तगत प्रभावित 10.9075 है0 संरक्षित वन भूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट एवं हरदोई वन प्रभाग के अर्न्तगत 1.2540 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 152 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट सहित प्रस्ताव की कुल 12.1615 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल 1414 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, उ०प्र० शासन का पत्रांक–8बी / यू०पी0 / 06 / 315 / 2022 / एफ0सी0 / 321 दिनांक 22–08–2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यूपी/06/315 /2022/ एफ0 सी0/321, दिनांक 22.08.2023 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहॉापुर ने अपने पत्रांक 1370/14–1 दिनांक 18–11–2023 (संलग्नक–01) के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त अनुपालन आख्या निम्न प्रकार विन्दुवार संलग्नक सहित संलग्नक कर संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित की जा रही है।

Cn No	Condition's	Status of Compliance
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का बचन बद्वता प्रमाण–पन्न प्रस्तुत किया हे कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। (संलग्नक–1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation over an area of 25.0 hac degraded forest land (10.00 ha, in Rampur Chandra Saini Forest Block, 10.00 ha. In Bichola Forest Block & 05.00 hac, in Pharairy Forest Block) Bah Range, District Agra at the cost of user agency. As for as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 year. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रश्नगत परियोजना मे मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 12.1615 हे0 भूमि के बदले आगरा वन प्रभाग की रामपुर चन्द्रसैनी वन ब्लॉक–10.00 हे0, बिचौला वन ब्लॉक–10.00 हे0 व फरेरी वन ब्लॉक–5.00 हे0 कुल 25.00 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य एंव रोपित पौधो का 10 वर्ष तक अनुरक्षण हेतु वॉछित धनराशि रू0–3,06,68,500.0 (रु0–तीन करोड़ छः लाख अड़सट हजार पॉच सौ मात्र) को ऑनलाइन ई–पोर्टल पर चालान के माध्यम कैम्पा खाते मे जमा कर दिया गया है। ऑनलाइन ई–रसीद की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–2)
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 12.1615 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the orders of the Honable Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि शाहजहॉपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 10.9075 है0 एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे0 कुल 12.1615 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य @ 9.57780 लाख (नौ लाख सत्तावन हज़ार सात सौ अरस्ती मात्र) प्रति है0 की दर से रु0 1,16,48,042.0 (रु0–एक करोड़ सोलह लाख अडतालिस हजार बयालिस मात्र) को ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कर दी गयी है।

	17 1990- (Lun) ou revenue	(संलग्नक–2) के अनुसार।
	Dt. 03/10/2006 and 5-3/2007- FC dated 05/02/2009. Revised	
	amount of NPV as applicable as per order dated 06-01-2022 and	
	19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	
5	Additional amount of the NPV of the deiverted forest land, if nay	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण
5	becoming due after finalization of the sasme by the Honable	पत्र प्रस्तुत किया है कि मविष्य में यदि एन० पी० दी० की
	Supreme Court of India on recipt of the report from the Expert	दरों में राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई भी बढोत्तरी
	Committee, shall be charged by the Satate Government from the	की जाती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकण द्वारा
	User Agency. The User Agency shall an undertaking to this effect.	जमा की जायेगी। (संलग्नक-3)
6	User Agency shall restrict the felling of trees to 1414	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र
	rrees/minimum number in the diverted forest land and the trees	प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में प्रमायित 1414 पेड़ों में न्यूनतम
	shall be felled under the strict supervision of the state Forest	वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं पेड़ों पर पातित शुल्व
	Department and the Cost of Felling of trees shall be deposited by	कार्यदायी संस्था द्वारा जमा किया जायेगा। (संलग्नक–4)
	the User Agency with the State Forest Department.	
7	The user agency to explore transplanting of trees consulation and	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0-7 के आलोक में वचन
	guidance of Forest of Department and monitoring/assessment of	बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–5)
	success of such transplanted trees by Research Wing of Forest	
	Department. The details and locations of such transplanted trees	
	shall be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं०–८ के आलोक में बचन
8	Road side plantation shall be raised by State Forest Department at	प्रयाक्ती आमकरण द्वारा रात राज-ठ के आलाफ न पज- बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–6)
	the cost of User Agency and Scheme for roadside plantation shall	
	be provided.	शाहजहॉपुर वन प्रभाग, हरदोई वन प्रभाग से अच्छादित
9	No Violation of Forest (Conservation) Act Certificate from	प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–7, 8)
	concerned DFO shall be provided.	शाहजहाँपुर वन प्रभाग, हरदोई वन प्रभाग से अच्छादित
10	The complete compliance of the FRA. 2006 shall be ensured by	Complete compliance of the FRA. 2006 का प्रमाण प
	way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Complete complete of the rick. 2000 का γ in the tieve the tieve ξ (संलग्न δ) (संलग्न δ) (10)
		सलग्न हो। (सलग्नय-७, 10) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–11 के आलोक में बचन
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and medium (if	बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–11)
	available) by the State Forest Department at the cost of User	dadi and da argunan en (on en en)
	Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and	6
	order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/S State of Rajasthan and others Dated 16.11.2015	
	Speed regulating signage will be erected along the road at regular	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–12 के आलोक में बच
12	intervals in the Protected Areas/Forest areas.	बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (सलग्नक–12)
13	The User agency shall provided suitable under/over pass in	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–13 के आलोक में बच
15	Protected Area/ Forest Area as per recommendation of CWLW/	बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–13)
	NBWL / FAC/ REC.	
14	User Agency shall obtain Environmantal clearance as per the	पर्यावरणीय अनापत्ति लागू नहीं है।
	provisions of the Environmantal (Protection) Act, 1986, if	
	applicable.	
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–15 के आलोक में बच
	approval of Central Government.	बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–14) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–16 के आलोक में बच
16	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता आभकरण द्वीरा शत स0–16 क आलाक न बर बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–15)
	and the second	
17	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by	
	the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any	
	State Forest Department or the Forest Development Corporation of any other legal source of alternate fuel.	and a state of the second s
10	The boundary of the diverted forest land shall be suitably	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–18 के आलोक में बच
18	demarcated on ground at the project cost, as per the directions of	
	the concerned Divisional Forest Officer.	
		प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0—19 के आलोक में बा
10	No additional or new path will be constructed inside the forest area	Nelection of the contract of the
19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the	

20	of the project life, whichever is less.	बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया ह। (सलग्नक–19)
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0—21 के आलोक में बचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक—20)

22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–22 के आलोक में बचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–21)
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–23 के आलोक में बचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–22)
24	Any order of temporary work permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal Offier and this office. Order of Temporary Work permission have to be uploaded on Parivesh Portal as well. Nodal officer will strictly mon itor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0—24 के आलोक में बचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक—23)
25	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–25 के आलोक में बचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–24)
26	Any other condition that the Minaistry of Environment. Forest & Climate may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–26 के आलोक में बचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–25)
27	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (http://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–27 के आलोक में बचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–2) के अनुसार
28	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in)	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का बचन बद्वता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड की जायेगी। (संलग्नक-26) के अनुसार

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय सिंह) वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वुच्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– 1578 (1)/14–1, दिनॉकित।

1— प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहॉापुर को उनके पत्रांक 1370/14-1 दिनांक 18-11-2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

> (विजय सिंह) वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।